Submit
Query

District Registry Office,Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 1182

चूँकि श्री SATENDRA KR. VASTU BUL PVT.LTD ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबन्धित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारों और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2007 से ता० 20/08/2020 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Gaya sadar	Bodhgaya 353	Mastpura	92n, 109o	1032n ,732o	12424 sq feet		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारों को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला पहले अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Lalit Prasad
U D C
5/9/2020

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Rakesh Kumar Sinha
L D C

कार्यालय – **District Registry Office, Gaya** तारीख – **05/09/2020**

5/9/2020

जिला निबंधक गया

Rnsinj
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
5/9/2020

टिप्पणी–

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रांजेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक:– 1350 दिनांक:– 05/09/2020

शाखा प्रबंधक INDIAN BANK TEKARI ROAD GAYA के पत्र दिनांक 12/08/2020 के आलोक में प्रेषित।

Rnsinj
निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
5/9/2020

Submit Query

District Registry Office,Gaya

Non Encumbrance Certificate

प्रमाण पत्र सं० 2103

RTPS No.:-
030119351002002301

चूँकि श्री PREM SAGAR ने मेरे पास आवेदन किया है कि निम्नलिखित प्रमाण पत्र के संबंध में निबंधित संव्यवहारों और अवभारों का विवरण प्रमाण–पत्र दिया जाय।

एतद्वारा प्रमाणित किया जाता है कि आवेदन में वर्णित सम्पत्ति को प्रभावित करने वाले संव्यवहारो और अवभारों के बारे में बही 1 में और उससे संबंधित अनुक्रमणियों में ता० 01/01/2005 से ता० 04/12/2020 तक तलाशी की गयी और इसकी तलाशी के बाद निम्न संव्यवहारों और अवभारों का पता चला है–

क्रम संख्या	कार्यालय	अंचल	मौजा/वार्ड नं०	खाता	खेसरा	रकबा	दस्तावेज का प्रकार	मूल्य	जिल्द संख्या	पृष्ट से	पृष्ट तक	वर्ष
1	Gaya sadar	Bodhgaya 353	Mastpura	117,92n	1035,1034,1032n			0				
2	Gaya sadar	Bodhgaya 353	Mastpura	109	732	12.48 decimal	agreement of agre	285600	115	302	318	2020
3	Gaya sadar	Bodhgaya 353	Mastpura	109o	732o	5440 sq feet		0				

यह भी प्रमाणित किया जाता है कि उपर्युक्त संव्यवहार और अवभारो को छोड़, उक्त संपत्ति को प्रभावित करने वाला कोई अन्य संव्यवहार और अवभार का पता नहीं चला है। निम्नलिखित व्यक्ति ने तलाशी की और प्रमाण पत्र तैयार किया :–

नाम –Lalit Prasad
U D C
12-12-2020

तलाशी का सत्यापन और प्रमाण पत्र की जाँच निम्नलिखित व्यक्ति ने की :–

नाम –Rakesh Kumar Sinha
L D C

कार्यालय – District Registry Office, Gaya

तारीख – 12/12/2020

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
12-12-20

टिप्पणी– 12-12-20

1. इस प्रमाण पत्र में जो संव्यवहार और अवभार दिखाये गये है वे आवेदक द्वारा तथा प्रस्तुत संपत्ति विवरण के अनुसार पाये गये है। यदि आवेदक द्वारा दिये गये विवरण से भिन्न विवरण देकर किन्हीं सम्पत्तियों को निबंधित दस्तावेजों में दिखाया गया है, तो इन दस्तावेजों से प्रभावित संव्यवहार (ट्रान्जेक्सन) इस प्रमाण–पत्र में शामिल न किये जायेंगे।)

2. निबंधन अधिनियम की धारा–57 के अधीन जो व्यक्ति बहियों और अनुक्रमणियों (इण्डेक्स) की प्रविष्टियाँ देखना चाहते हो तो अथवा जो उनका प्रतिलिपि लेना चाहते हो तो अथवा जिन्हें विनिर्दिष्ट संपत्तियों के अवभारों के प्रमाण पत्रों की जरूरत हो उन्हें तलाशी स्वयं करनी होगी। विहित फीस का भुगतान करने पर बहि और अनुक्रमणी उनके सामने रख दी जायेंगी।

3. किन्तु चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने स्वयं तलाशी नहीं की है, इसलिए कार्यालय ने अपेक्षित तलाश अपने भरसक सावधानी से की है। फिर भी प्रमाण–पत्र में दिये गये तलाशी परिणाम की किसी भूल के लिए किसी भी तरह की जिम्मेवारी नहीं होगी।

4. और चूंकि वर्त्तमान मामले में आवेदक ने अपेक्षित तलाशी स्वयं की है इसलिए उसके द्वारा ढूँढे गये ऐसे संव्यवहारों और अवभारों के लिए किसी भी तरह कार्यालय जिम्मेवार न होगा जिससे उक्त संपत्ति पर प्रभाव पड़ता हो।

पत्रांक– 2655 दिनांक– 12/12/2020

शाखा प्रबंधक SBI RACC BRANCH GAYA के पत्र दिनांक 06/12/2020 के आलोक में प्रेषित।

निबंधन पदाधिकारी का हस्ताक्षर
12-12-20